122

निगरानी 714-III-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०

श्री अनूप देव पाण्डेय एड.
द्वारा पेश। 10-3-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

70
10-3-15

जियालाल कुशवाहा पिता राम कुमार कुशवाहा, निवासी ग्राम कचनी, तहसील सिंगरौली, थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली म०प्र० -- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन -- ---गैर निगरानीकर्ता

क्रमांक 4800
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ... को प्राप्त
3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०, के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/14-15 के पारित आदेश दिनांक 3.12.14, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959ई.।

==================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विवादित भूमि जिसका सीमांकन आवेदक द्वारा कराने का आवेदन मूल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका भूमि नम्बर 1719/1 है। उक्त भूमि सरकारी सड़क के किनारे से लगा हुआ है। जिस पर आबादी है, तथा मकान निर्मित है।

3:- यह कि उक्त भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना कोई बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह बनाये हुये ही सीमांकन कर दिया गया, सीमांकन के बाद आवेदक की भूमि रोड़ पर निकाल दी गई, जबकि उसके पीछे 1719/2 भूमि है, जिसका क्षेत्रफल राजस्व

Pandey
Ad.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 714-III/15 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि आवेदक जियालाल द्वारा उसकी भूमि का सीमांकन कराया गया और उस पर स्वयं ही आपत्ती ली जा रही है. उसका कहना है कि उसकी भूमि आ नं १७१९/१ का अंश भाग रोड पर निकल दिया गया है और उसके पीछे की भूमि १७१९/२ का रकबा अभिलेखों की तुलना में मौके पर ज्यादा छोड़ दिया गया है, जिस वजह से उसे परिवेद है, जिसका निराकरण अधीनस्थ स्तर पर नहीं हुआ है. अभिलेख के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदक अधीनस्थ स्तर पर सतत उपस्थित रहा है, उसके अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका पर हर पेशी पर हस्ताक्षर भी हैं, किन्तु उसने अधीनस्थ स्तर पर वह आपत्ती नहीं उठाई है जो उसने रा मं के समक्ष उठाई है. चूँकि प्रकरण आवेदक की स्वयं की भूमि के सीमांकन से सम्बंधित है, अतः मैं यह सही समझता हूँ कि अधीनस्थ स्तर पर आवेदक को इस बिंदु पर उसका पक्ष रखने का मौका रा मं में आने से पहले मिल जाए. अतः, मैं आवेदक द्वारा बताए गए विलम्ब के कारण को साथ दिए गए चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के प्रकाश में मान्य करते हुए विलम्ब माफ़ करता हूँ. साथ ही, तहसीलदार सिंगरौली को को यह निर्देश देता हूँ कि वे सम्बंधित सीमांकन प्रकरण क्र ६/अ१२/१४-१५ अपने समक्ष आहूत करके खोलें, और उसमे आवेदक को अपने समक्ष सुनवाई का अवसर देकर उसकी आपटते का बोलते स्वरुप में निराकरण करें, और यदि उक्त आपत्ती के निराकरण के लिए आवश्यक हो तो कारण लेखबद्ध करते हुए मौके के कार्यवाही भी दोबारा कराएं.	

निग0 714–तीन / 15

जिला सिंगरौली

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.
आदेश पारित.
पक्षकार एवं तहसीलदार, सिंगरौली सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य